

## राजकोषीय घटनाक्रम

‘प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। प्रजा के हित में ही उसका हित है। अपने स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्य में उसका हित नहीं, परंतु प्रजा के प्रिय कार्यों को करना ही उसका सबसे बड़ा हित है। इसलिए राजा को सदैव सक्रिय होना चाहिए और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रीति से करे; उद्योग ही सम्पत्ति का मूल कारण है, और उद्योगी न होना हर तरह के धनर्थों को उलटा कर देता है।’

-कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक I में अध्याय XIX ‘अनुशासन के संबंध में’ राजा के कर्तव्य

निवेश और व्यापार चक्र की आशावादी वैश्विक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए गए बजट 2018-19 में नए राजकोषीय लक्ष्य का ढांचा शुरू करते हुए राजकोषीय समेकन के उद्देश्य को दोहराया गया है। राजस्व बढ़ाना और व्यय को पुनः प्राथमिकता देना तथा भौक्तिकीकरण राजकोषीय सुधार का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। प्रत्यक्ष कराधार का विस्तार और गहन करना तथा माल एवं सेवा कर का स्थिरीकरण अन्य प्राथमिकताएं हैं। पिछले छह वर्षों में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार के बजटीय व्यय में काफी संयम आया है, इसमें अधिकांशतः राजस्व व्यय में कटौती हुई है। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 अनंतिम वास्तविक आंकड़े (अ.वा) में प्रति वर्ष कुल व्यय में 0.3 प्रतिशत की कमी आई, इसमें राजस्व व्यय में 0.4 प्रतिशतांक की कटौती हुई और पूंजीगत व्यय में 0.1 प्रतिशतांक वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय के अंतर्गत मुख्य सब्सिडियों में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सब्सिडी में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही और वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में और अधिक गिरकर जीडीपी का 0.1 प्रतिशतांक पर आ गयी। व्यय की गुणवता सुधारना मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है। नए संशोधित राजकोषीय पथ से विपर्थित हुए बगैर आवंटन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना पहली चुनौती बनी हुई है।

2.1 वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में वैश्विक निवेश और व्यापार में उछाल की पृष्ठभूमि में बजट 2018-19 पेश किया गया था। वैश्विक विकास की गति के 2018 में भी जारी रहने की आशा थी। विभिन्न अड़चनों के बावजूद 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृहत्-आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए 6.8 प्रतिशत (केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार) वृद्धि होने की संभावना है। वृहत् स्थिरता के साथ वृद्धि मुख्य रूप से चालू संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय अनुशासन, सेवाओं की सक्षम प्रदायगी और वित्तीय समावेशन से शुरू होती है।

2.2 बजट 2018-19, राजकोषीय समेकन संबंधी सरकार की मंशा की पुष्टि करता है। 2018-19 में अस्थायी अनर्थक हस्तक्षेप के बाद इसका लक्ष्य राजकोषीय सुधार के मार्ग पर वापस आना था। नया राजकोषीय लक्ष्य ढांचा अपनाया गया था जो ऋण और राजकोषीय घाटा कम करने के दोहरे स्तम्भ पर आधारित था। संशोधित राजकोषीय मार्ग में वित्त वर्ष 2020-21 तक जीडीपी का 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा हासिल करने और केन्द्रीय सरकार का ऋण 2024-25 तक जीडीपी का 40 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है।

2.3 केंद्रीय बजट 2018-19 के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य संशोधित किया गया और नए अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव की वजह से इसे 0.3 प्रतिशतांक बढ़ाकर जीडीपी का 3.2 की बजाए 3.5 प्रतिशत किया गया। 2018-19 बजट अनुमान में इसका लक्ष्य जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर पहुंचाना था। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए इसके क्रमशः 3.1 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। केंद्रीय सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात मार्चात 2019 में 48.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। यह मार्चात 2020 तक गिरकर 46.7 प्रतिशत तथा मार्चात 2021 तक 44.6 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जीडीपी के साथ अनुपात में गिरावट की दीर्घावधिक प्रवृत्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।

2.4 इस अध्याय में वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में राजकोषीय घटनाक्रमों की समीक्षा की गई है। इसे चार खंडों में व्यवस्थित किया गया है: केंद्रीय सरकार के वित्त साधन, राज्यों के वित्त साधन, सामान्य सरकार और 2019-20 की संभावना।

## केंद्रीय सरकार के वित्त साधन

2.5 राजकोषीय समेकन के लिए राजस्व बढ़ाना और व्यय को यौक्तिक बनाना आवश्यक होता है। 2004-05 से 2007-08 की एफआरबीएम पश्च अधिक में मुख्यतः कर राजस्व में उछाल आने के कारण काफी हद तक राजकोषीय समेकन हासिल किया जा सका है। केंद्र का निवल कर राजस्व जीडीपी का 1.9 प्रतिशतांक बढ़ा। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद संवृद्धि पुनः बहाल करने की कार्यनीति के भाग के रूप में राजकोषीय समेकन को रोक दिया गया था, जो कर रियायतों और अधिक सार्वजनिक व्यय में परिलक्षित हुआ है। तथापि, 2011-12 के बाद राजकोषीय समेकन के लिए धीरे-धीरे, परंतु लगातार, प्रयास किए गए हैं।

2.6 केंद्रीय सरकार के मुख्य राजकोषीय सूचक तालिका 1 में दिए गए हैं। केंद्रीय सरकार के वित्त साधनों में प्रमुख परिवर्तन तालिका 1 में परिलक्षित होते हैं, जिनमें जीडीपी के अनुपात में कर में सुधार, राजस्व व्यय का बहुत अधिक समेकन और पिछले वर्षों की तुलना में धीरे-धीरे पूँजी व्यय की ओर झुकाव शामिल है। इनके परिणामस्वरूप, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे में क्रमिक गिरावट हुई है।

**तालिका 1: केंद्रीय सरकार के राजकोषीय मानदंड**

बाजार कीमतों पर जीडीपी	112.34	124.68	137.72	153.62	170.95	187.22	188.41	190.10
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)								
राजस्व प्राप्तियां	9.0	8.8	8.7	8.9	8.4	9.2	9.2	8.2
सकल कर राजस्व	10.1	10.0	10.6	11.2	11.2	12.1	11.9	10.9
निवल कर राजस्व	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	7.9	7.9	6.9
कर-भिन्न राजस्व	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.3	1.3	1.3
ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियां*	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	9.4	9.2	9.1	9.4	9.1	9.7	9.7	8.8
कुल व्यय	13.9	13.3	13.0	12.9	12.5	13.0	13.0	12.2
राजस्व व्यय	12.2	11.8	11.2	11.0	11.0	11.4	11.4	10.6
पूँजी व्यय	1.7	1.6	1.8	1.9	1.5	1.6	1.7	1.6
राजकोषीय घाटा	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.3	3.4	3.4
राजस्व घाटा	3.2	2.9	2.5	2.1	2.6	2.2	2.2	2.3
प्राथमिक घाटा	1.1	0.9	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

ब.अ.: बजट अनुमान, सं.अ.: संशोधित अनुमान (अंतरिम बजट के अनुसार), पी.ए.: अर्नातिम वास्तविक आंकड़े

\*इसमें विनिवेश से प्राप्तियां शामिल हैं।

2.7 राजकोषीय सूचकों की वृद्धि दर तालिका 2 में दी गई हैं। 2018-19 अ.वा. में कर-भिन्न राजस्व और पूँजी व्यय में काफी वृद्धि हुई। वास्तव में, 2018-19 अ.वा.

में दोनों परिवर्तनीय कारकों में वृद्धि हुई जो 2017-18 दोनों परिवर्तनीय कारकों में कमी के विपरीत थी।

तालिका 2: केंद्रीय सरकार के राजकोषीय सूचकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ब.अ #	2018-19 सं.अ #	2018-19 अ.वा #
राजस्व प्राप्तियां	15.4	8.5	8.5	15.0	4.4	20.2	20.5	8.9
सकल कर राजस्व	9.9	9.3	16.9	17.9	11.8	18.4	17.2	8.4
निवल कर राजस्व	10.0	10.8	4.4	16.7	12.8	19.2	19.5	6.0
कर-भिन्न राजस्व	44.8	-0.5	27.0	8.6	-29.4	27.2	27.3	27.7
ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियां*	2.2	23.0	22.3	3.8	77.0	-20.3	-19.5	-11.1
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	14.8	9.1	9.1	14.4	7.7	17.2	17.5	7.4
कुल व्यय	10.6	6.7	7.6	10.3	8.4	14.0	14.7	7.9
राजस्व व्यय	10.3	6.9	4.8	9.9	11.1	14.0	13.9	6.9
पूँजी व्यय	12.5	4.8	28.6	12.5	-7.5	14.2	20.3	15.1

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

ब.अ.: बजट अनुमान, सं.अ.: संशोधित अनुमान (अंतरिम बजट के अनुसार), पी.ए.: अर्नातिम वास्तविक आंकड़े

\*इसमें विनिवेश से प्राप्तियां शामिल हैं।

# 2017-18 की तुलना में वृद्धि

## प्राप्तियों में रुद्धान


2.8 मोटे तौर पर केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों को ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। ऋण-भिन्न प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, ऋणों में वसूली और विनिवेश से प्राप्तियां शामिल हैं। ऋण प्राप्तियों में अधिकांशतः बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार को भविष्य में चुकाना पड़ता है। बजट 2018-19 में केंद्रीय सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियों में काफी हद तक उच्च वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जो निवल कर राजस्व और कर-राजस्व में मजबूत वृद्धि के कारण रखा गया था (तालिका 2 देखें)। अनंतिम वास्तविक आंकड़ों में दर्शाया गया परिणाम बजट अनुमान से कम है, जिसका कारण निवल कर राजस्व में कटौती किया जाना है। यह चित्र 1 में दी गई कर भिन्न प्राप्तियों की संरचना से भी स्पष्ट होता है।

## कर राजस्व

2.9 बजट 2018-19 में 2017-18 के संशोधित अनुमानों की तुलना में सकल कर राजस्व में 16.7 प्रतिशत वृद्धि होने की परिकल्पना की गई थी। बजट 2018-19 के लिए सकल कर राजस्व 22.7 लाख करोड़ अनुमानित था, जो जीडीपी का 12.1 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में वृद्धि की आशा का आधार 2017-18 के संशोधित अनुमानों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि और प्रत्यक्ष करों में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि थी। मोटे तौर पर 51 प्रतिशत सकल कर राजस्व प्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाना अनुमानित था और शेष 49 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से। 2018-19 संशोधित अनुमान और 2018-19 अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के लिए सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का योगदान चित्र 2 में दर्शाया गया है।

2.10 वित्त वर्ष 2018-19 के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में सकल कर राजस्व में बजट में परिकल्पना

**चित्र 1: कर-भिन्न प्राप्तियों की संरचना (प्रतिशत में)**




स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

बीई: बजट अनुमान, आरई: संशोधित अनुमान (अनंतिम बजट के अनुसार), पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

की गई तुलना में कम वृद्धि हुई है। (तालिका 2 देखें)। निगम कर के प्रदर्शन में सुधार आने के कारण प्रत्यक्ष करों में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, अप्रत्यक्ष करों में बजट अनुमान से लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह मुख्यतः इसलिए हुआ कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व<sup>1</sup>, की गिरावट दर्ज हुई है। माल एवं सेवा कर के संग्रहण का अभी

स्थिरीकरण नहीं हुआ है और वर्ष के दौरान जीएसटी परिषद के निर्णयों के अनुसार अनेक परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन अन्य बातों के साथ-साथ माल और सेवाओं के लिए दर का यौक्तिकीकरण, आरंभिक सेवाओं में परिवर्तन और दी गई छूटों से संबंधित हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

चित्र 2: सकल कर राजस्व की संरचना




स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

2.11 यद्यपि पिछले छह वर्षों में जीडीपी के अनुपात में कर में सुधार हुआ है (चित्र 3), जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल कर राजस्व 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में 0.3 प्रतिशतांक गिरा है। मुख्यतः जीएसटी संग्रहण में गिरावट के कारण अप्रत्यक्ष करों में जीडीपी के 0.4 प्रतिशतांक की कमी आई हैं इसे प्रत्यक्ष करों में 0.1 प्रतिशतांक की वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया है। जीडीपी के संबंध में मुख्य दरों में रुझान चित्र 4 में दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि 2018-19 अ.वा. में निगम कर की प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में बेहतर कर प्रशासन, स्रोत पर कर कटौती का विस्तार करने, कर वंचनरोधी उपाय और प्रभावी कर दाता के आधार में वृद्धि के योगदान से प्रत्यक्ष कर में उछाल आया है।

जीएसटी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष कर दाताओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण कराधार का विस्तार होने से भी कर के उछाल में सुधार आया है। आगे कर संग्रहण में लगातार सुधार जीएसटी के राजस्व के उछाल पर निर्भर करेगा।

चित्र 3: कर-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत में)




स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े।

<sup>1</sup> CGST, IGST और क्षतिपूर्ति उपकर सहित

चित्र 4: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक


बीई: बजट अनुमान, पी.ए.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

CIT = कारपोरेट कर, TOI = कोरपोरेट कर के अलावा आयकर, UED = केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ST= सेवाकर, GST= माल और सेवा कर

12. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष संगृहीत कर का बहुत बड़ा भाग वापस किया जाता है (चित्र 5 देखें)। प्रत्यक्ष कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में 2016-17 के बाद वापसी कम

हुई है। प्रत्यक्ष वापसी के मामलों के लंबित रहने में अत्यधिक कमी<sup>2</sup> तथा आकलन की गुणवत्ता पिछले कुछ वर्षों की तुलना में रुझान स्पष्ट कर सकती है।

चित्र 5: प्रत्यक्ष कर की वापसी



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

<sup>2</sup> लेखा महानियंत्रक की 2017 की 40वीं रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में प्रत्यक्ष वापसी मामलों के लंबित रहने में 28.9 प्रतिशत से 2016-17 में 10.7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

2.13 बजट 2018-19 और 2019-20 (अंतरिम बजट में) प्रत्यक्ष करों के लिए घोषणा किए गए मुख्य उपाय अनुबंध-II में दिए गए हैं।

### कर-भिन्न राजस्व

2.14 कर-भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें भारत सरकार को अंतरित भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष शामिल हैं और विदेशी अनुदान तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्तियां होती हैं। इन सेवाओं में मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल जैसी राजकोषीय सेवाएं; लोक सेवा आयोग, पुलिस आदि जैसी सामान्य सेवाएं; शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी सामाजिक सेवाएं और सिंचाई, परिवहन और संचार जैसी आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। 2018-19 के लिए बजट में कर-भिन्न राजस्व के रूप में 2.45 लाख करोड़ रुपये अर्जन करने की परिकल्पना की गई है जो 2017-18 की तुलना में 27.2 प्रतिशत अधिक है जिसमें से लगभग एक तिहाई वृद्धि लाभांश और लाभों के कारण होने का अनुमान है (तालिका 3 देखें)। 2018-19 में कर-भिन्न राजस्व जीडीपी का लगभग 1.3 प्रतिशत है।

2.15 2018-19 के लिए अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार कर-भिन्न राजस्व से प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक हुई हैं। तालिका 3 दर्शाती है कि लाभांशों और लाभों से बढ़ी हुई उगाही ने इसके अन्य घटकों में हुई मामूली गिरावट को संतुलित कर दिया है।

### ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

2.16 ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों को केंद्रीय सहायता के ऋण अंश की गैर मध्यस्थता के चलते पिछले वर्षों की तुलना में ऋणों की वसूली का हिस्सा कम हुआ है और राज्यों को बाजार से सीधे उधार लेने की अनुमति दी गई है। 2018-19 के बजट में ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 0.92 लाख करोड़ सूजन करने की परिकल्पना की गई है जिसमें ऋणों और अग्रिमों की वसूली से 0.12 लाख करोड़ रुपये और विनिवेश प्राप्तियों से 0.80 लाख करोड़ रुपये शामिल है। इसकी तुलना में विनिवेश में 0.85 लाख करोड़ रुपये सहित ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों द्वारा 1.03 लाख करोड़ रुपये, अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के

तालिका 3: कर भिन्न राजस्व में सम्मान

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ब.अ	2018-19 स.अ	2018-19 अ.वा
							(रु. लाख करोड़)	
ब्याज प्राप्तियां	0.22	0.24	0.25	0.16	0.14	0.15	0.12	0.13
लाभांश व लाभ	0.90	0.90	1.12	1.23	0.91	1.07	1.19	1.13
बाह्य अनुदान	0.04	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01
अन्य	0.83	0.83	1.12	1.32	0.84	1.20	1.13	1.19
कर भिन्न राजस्व	1.99	1.98	2.51	2.73	1.93	2.45	2.45	2.46

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

ब.अ. बजट अनुमान, स.अ.: संशोधित अनुमान (अंतरिम बजट के अनुसार) पी.ए.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

दौरान जुटाये गए हैं। 2018-19 के दौरान विनिवेश तथा सरकारी परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा की जा

रही नई पहलों का ब्यौरा बॉक्स 1 में दिया गया है।

## बॉक्स 1: विनिवेश

वर्ष 2018-19 के लिए विनिवेश हेतु बजट अनुमान 0.80 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में आरभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री के लिए पेशकश (ओएफएस), वापसी खरीद, एक्सचेंज में व्यापारित निधियां (ईटीएफ) जैसी विभिन्न लिखतों का उपयोग करके 0.85 लाख करोड़ रूपये का संग्रहण किया गया था इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:

### आईपीओ:

स्टॉक एक्सचेंजों में 5 कंपनियों (मिथानी, राइट्स, इरकोन, जीआरएसई और एमएसटीसी) को सूचीबद्ध करने से प्राप्त आय: 1914 करोड़ रूपये

### ओएफएस:

कर्मचारी ओएफएस सहित कोल इंडिया बिक्री की पेशकश से प्राप्त आय: 5,236 करोड़ रूपये

### वापसी खरीद:

11 कंपनियों (केआईओसीएल, नालको, एनएलसी, सीएसएल, भेल, एनएचपीसी, आईओसीएल, सीएसएल, भेल, एनएचपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनएमडीसी, ओआईएल और सीआईएल) के शेयरों की वापसी खरीद: 10,669 करोड़ रूपये।

### ईटीएफ

2018-19 के दौरान ईटीएफ से प्राप्त समग्र लाभ 45,080 करोड़ रूपये।

### कार्यनीतिक विनिवेश:

सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यनीतिक विनिवेश के 28 मामलों के संबंध में प्रगति की गई है, जो विभिन्न अवस्थाओं में है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यनीतिक रूप से तीन कंपनियों की बिक्री हुई, नामत: (i) हॉस्पीटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी लिमिटेड), (ii) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) और (iii) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी लिमिटेड)।

एचएससीसी को एनबीसीसी इंडिया ने 285 करोड़ रूपये में खरीद लिया था जबकि ड्रेजिंग कारपोरेशन को कंसोर्टियम ऑफ फोर पोर्ट्स ने 1049 करोड़ रूपये में खरीदा था। एनपीसीसी को डब्ल्यूएपीसीओएस ने 79.80 करोड़ रूपये में खरीदा था।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड में भारत सरकार की इक्विटी धारिता की कार्यनीतिक अधिप्राप्ति के लिए मुख्य लेन-देन बंद बाजार कारोबार में विद्युत वित्त निगम लिमिटेड द्वारा 14,500 करोड़ रूपये में किया गया था।

### केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के असूचीबद्ध उद्यमों को सूचीबद्ध करना:

सीसीईए ने सैद्धांतिक रूप से सात सीपीएसई के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश/अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के लिए अनुमोदन दिया है अर्थात् दूरसंचार परामर्शी (इंडिया) लिमिटेड, रेल-टेल निगम (इंडिया) लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम (इंडिया) लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जल और विद्युत परामर्शी सेवा (इंडिया) लिमिटेड, एफसीआई अरावली जिप्सम और खनिज (इंडिया) लिमिटेड और कुदरमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड। इन कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। पहले से अनुमोदित आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और नीपको को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है।

### दीपम द्वारा की गई नई पहलें:

1. परिसंपत्ति मौद्रीकरण - नीति और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना :

(i) निम्नलिखित को शामिल करते हुए 8.3.2019 को संस्थागत ढांचा अधिसूचित किया गया था:

- (क) कार्यनीतिक विनिवेश के अंतर्गत सीपीएसई की पहचान की गई गैर - प्रमुख परिसंपत्तियां।
- (ख) सीईपीआई गृह मंत्रालय के संरक्षण में शान्त्रु अचल संपत्तियां।
- (ग) रुग्ण/घाटे में रहने वाले सीपीएसई सहित अन्य सीपीएसई/पीएसयू/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियां।
- (ii) प्रक्रियाएं चालू कर दी गई हैं:
- (क) वैकल्पिक तंत्र, अंतर-मंत्रालयी समूह और परामर्शी समूहों को अधिसूचित किया गया है।
- (ख) शुरू किए गए परिसंपत्ति मौद्रीकरण प्रक्रोष्ठ के लिए मध्यस्थों की सेवाएं प्राप्त करना।
- (ग) व्यय विभाग को पद सर्जित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
- (घ) मौद्रीकरण की जाने वाली संभावित परिसंपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है।

## 2. ऋण-ईटीएफ

फरवरी 2018 में वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में सीपीएसई को अपनी कुल क्षमता बढ़ाकर आंशिक रूप से सीएपीईएक्स की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए ऋण/बांड बाजार तक पहुंच हेतु दीपम ऋण-ईटीएफ सृजित कर रहा है। सलाहकार, कानूनी सलाहकार और एएमसी की नियुक्ति की गई है।

स्रोत: निवेश और सरकारी प्रबंधन विभाग (दीपम)

## व्यय के रुद्धान

2.17 सरकारी व्यय का यौक्तिकरण और पुनः प्राथमिकता निर्धारण राजकोषीय सुधारों का अभिन्न अंग है। चूंकि भारत का जीडीपी में कर अनुपात कम है, सरकार को, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए निवेश और अवसंरचना विस्तार के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूंजी व्यय के लिए व्यय की संरचना और गुणवत्ता में सुधार लाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

2.18 सरकारी व्यय की संरचना (चित्र 7 देखें) दर्शाती है कि रक्षा, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर व्यय कुल व्यय के 60 प्रतिशत से अधिक है। रक्षा व्यय की दक्षता और प्रयोजन बढ़ाने, आत्मनिर्भरता और

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनका बौद्धि बॉक्स 2 में दिया गया है। वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान पर व्यय कुल मिलाकर वचनबद्ध प्रकृति के हैं, और इनमें अतिरिक्त राजकोषीय संभावना सृजित करने के लिए सीमित गुंजाइश है। लक्ष्य में सुधार करने के जरिए सब्सिडियों में काफी नरमी आई है (चित्र 8 देखें)। विगत हाल में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की पुनःसंरचना और पुनःवर्गीकरण के जरिए अन्य व्यय का बहुत अधिक यौक्तिकीकरण हुआ है। यहां तक कि पूंजी व्यय<sup>3</sup> को 2017-18 में यौक्तिक बनाया गया था, जहां रेलवे को सहायता प्रदान की गई और राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना अंतरित करने के तंत्र को यौक्तिक बनाया गया था।

3 भारत सरकार द्वारा रेलवे को प्रदान की जाने वाली सहायता में लगभग 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि की कमी थी, क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि रेलवे बृहतर वित्तीय स्वायत्ता की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष रूप से बाजार में पहुंच बनाएगी। राज्यों को बाह्य सहायता परियोजनाओं (ईएपी) ऋणों के संबंध में, 18,500 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था। यह व्यय, ऋण मुख्य शीर्ष (7601) के तहत, वास्तव में पास-थू क्योंकि राज्य भारत की सचित निधि की गारंटी के विरुद्ध केवल बाह्य रूप से ऋण ले सकते थे। इसलिए यह व्यवस्था भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर प्रभाव डाल रही थी जबकि ऋण राज्य सरकारों की देनदारियां थे। इस व्यवस्था में यह तथ्य दर्शाने के लिए बदलाव किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को 4,500 करोड़ रुपये तक की अतिम अदायगी को भारत सरकार के व्यय का भाग माना जाएगा। इस लेखांकन व्यवस्था को केंद्रीय सरकार के लिए कम किए गए पूंजीगत व्यय के रूप में प्रतिविवित किया जाएगा।

## बॉक्स 2: रक्षा पहलें

### बजट

- 2018-19 के लिए सिविल अनुमानों और पेंशन सहित रक्षा बजट के आवंटन 4,04,364.71 करोड़ रुपए है, जो कि बजट अनुमान 2017-18 की तुलना में 44,510.50 करोड़ रुपए अधिक है।
- पूंजीगत व्यय में तो पिछले कुछ वर्षों से काफी अधिक वृद्धि हुई है। निधियों के अभ्यर्पण की पिछली प्रवृत्तियों के विपरीत 2016-17 से आवंटित पूंजीगत बजट का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है।
- रक्षा बजट अप्रयुक्त रहने की प्रवृत्ति वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में उलट गई है।
- तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को और अधिक निर्णय लेने के अधिकार प्रदान करने से सशस्त्र बलों के राजस्व खरीद में शामिल निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने में प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में प्रदत्त अधिकारों से, अब उप प्रमुखों को राजस्व खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए तक की खरीद की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पूंजीगत पक्ष के संबंध में भी 150 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 की व्यापक रूप से समीक्षा की है। भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए खरीद प्रक्रिया को उद्योग के अनुकूल बनाने, एक प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण प्रदान करने, कठिनाईयां कम करने और रक्षा प्लेटफार्म, उपकरण तथा प्रणाली को समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाने हेतु “बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग” के एक भाग के रूप में कुछ उपाय किए गए हैं।

### आत्मनिर्भरता

- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा रक्षा उत्पाद निर्माण में भारत को एक वैश्विक ‘हब’ बनाने के लिए आयुध निर्माणियां (ओएफ), सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) और गैर-सरकारी उद्योग इको प्रणाली ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और उत्पाद क्षेत्र में काफी विस्तार किया है। अनुसंधान और विकास पहलों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रमुख उत्पाद विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक उत्पाद एवं उपकरण अब प्रौद्योगिकी के अन्तरण के माध्यम से भी उत्पादित किए जा रहे हैं।
- एक नीति के रूप में डीपीएसयू और ओएफ अपनी अनेक जरूरतों आउट सोर्सिंग से प्राप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने बड़े, मध्यम और लघु उद्यमों का एक आपूर्तिकर्ता जाल विकसित कर लिया है। साथ ही ये दोनों संगठन अपने उपकरणों और उत्पादों में स्वदेशी अंश बढ़ाने के कार्य भी कर रहे हैं।

### नीतिगत पहल

- रक्षा उत्पादों के डिजाइन तथा विकास में भारतीय उद्योग की प्रतिभागिता बढ़ाने के क्रम में, फरवरी, 2018 में एक ‘मेक-II प्रोसिजर अधिसूचित किया गया था, जिसमें उद्योग व्यक्तियों द्वारा सुझाए गए स्व-प्रेरणा प्रस्तावों के विचारार्थ पात्रता मानदंड की शिथिलता, न्यूनतम दस्तावेज, प्रावधान जैसे कई उद्योगों के अनुकूल प्रावधान आरंभ किए गए हैं। ओएफ तथा डीपीएसयू स्तर पर मेक-II के कार्यान्वयन के लिए फरवरी, 2019 में रूपरेखाएं जारी कर दी गई हैं। यह रूपरेखाएं ओएफ तथा डीपीएसयू को भारतीय गैर-सरकारी उद्योग के माध्यम से विशेष रूप से आयात प्रतिस्थापन प्रकृति के उत्पादों के स्वदेशीकरण करने में सक्षम बनाएगा।

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2018 में “इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस” (आईडैक्स) नामक रक्षा क्षेत्र हेतु एक नवाचार इकोप्रणाली आरंभ की थी। आईडैक्स का उद्देश्य रक्षा तथा विमान निर्माण तकनीक में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इकोप्रणाली तैयार करना है। आईडैक्स का आशय एमएसएमई, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा शिक्षा क्षेत्रों सहित उद्योगों को बढ़ावा देना है और उन्हें अनुसंधान एवं विकास करने के लिए अनुदान/वित्त पोषण एवं अन्य सहायता प्रदान करता है, जिनमें भारतीय रक्षा तथा विमान निर्माण तकनीक की आवश्यकताओं हेतु भावी तकनीक अंगीकार करने की क्षमता हो। आईडैक्स कार्यक्रम, दो पड़ावों में ‘डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चैलेंजेस (डिस्क) को आरंभ करने के लिए संचालनात्मक बनाया गया है, जिसमें नवप्रवर्तकों, संगठनों और व्यक्तियों, ने समाधान के लिए ‘समस्या का विवरण’ प्रस्तुत किया है।
- जनवरी, 2018 से रक्षा उत्पादन विभाग में एक रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसने सभी प्रकार के रक्षा उत्पादन से संबंधित प्रश्नों का एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### निजी क्षेत्र की भागीदारी

- रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता का लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से वहां स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें प्रौद्योगिकीय संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—
  - मई, 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में आक्षित था, उसे लाइसेंसिंग की शर्त पर 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ भारतीय निजी क्षेत्र के लिए 100% तक दोनों के लिए खोल दिया गया था। एफडीआई नीति को आगे और उदारीकृत बनाया गया था और 49% तक तथा 49% से अधिक स्वचालित मार्ग के अंतर्गत की अनुमति दी गई थी, जहां कहीं आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच में परिणाम लाने की संभावना होती है या अन्य दर्ज किए गए कारण हैं।
  - भारतीय गैर सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र के खोले जाने के पश्चात् सार्वजनिक तथा गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में, विभिन्न रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में अभी तक 24 एफडीआई प्रस्ताव/संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। डीआईपीपी ने रक्षा उत्पादों की एक बड़ी श्रेणी के निर्माण के लिए मार्च, 2019 तक निजी कंपनियों को 439 औद्योगिकीय लाइसेंस (आईएल) जारी किए हैं।

### निर्यात संवर्धन

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयुद्ध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) तथा डीपीएसयू और निजी क्षेत्र (डीडीपी द्वारा जारी प्रमाणीकरण पर आधारित) से किया गया निर्यात वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1522 करोड़ रुपए से बढ़कर 4682 करोड़ रुपए हो गया है।


स्रोत: रक्षा मंत्रालय

2.19 वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों के साथ अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के जरिए सरकार, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर नियंत्रित करने में समर्थ हुई है। संपूर्ण कटौती राजस्व व्यय में हुई है (तालिका 1 देखें)। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा.

में कुल व्यय 0.3 प्रतिशतांक गिरा। इसमें राजस्व व्यय में 0.4 प्रतिशतांक की कटौती हुई और पूंजी व्यय में 0.1 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई। 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में कुल व्यय 7.9 प्रतिशत बढ़ा। इसमें पूंजी घटक में राजस्व की तुलना में दोगुना से अधिक की दर से बढ़ोतरी हुई।

2.20 कुल व्यय में पूँजी व्यय के हिस्से में व्यय की गुणवत्ता 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में सुधार आया (चित्र 6 देखें)। डीजीपी के अनुपात के रूप में पूँजी व्यय और रक्षा भिन्न पूँजी व्यय में 2018-19 अ.वा. में 0.1 प्रतिशतांक की वृद्धि दर्ज की गई (चित्र 6क देखें)। सड़कों, रेलवे और अन्य पर पूँजी व्यय में विस्तार को रक्षा पूँजी व्यय के साथ समझौता किए बगैर पूरा किया गया है। वास्तव में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय के पूँजी व्यय में 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में क्रमशः 33 प्रतिशत और 22 प्रतिशत सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है।


**चित्र 6: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व और पूँजी व्यय**



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े


**चित्र 6क: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व और पूँजी व्यय**



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

**चित्र 7: संशोधित अनुमान 2018-19 में व्यय की संरचना**



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

आरई: संशोधित अनुमान (अंतिम बजट)

2.21 2018-19 अ.वा. में राजस्व व्यय में वृद्धि नरम रही, इसमें वृद्धि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान के कारण हुई (तालिका 4 और 5 देखें) मुख्य सब्सिडियों में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम में गिरावट की प्रवृत्ति

जारी रही और 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में और अधिक गिरकर जीडीपी के 0.1 प्रतिशतांक पर रह गई।

**तालिका 4: राजस्व व्यय की मुख्य मदें**

मदें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ब.अ	2018-19 स.अ	2018-19 अ.वा
	(रु. लाख करोड़)							
क. वेतन (वेतन और भत्ते)	1.18	1.34	1.45	1.77	1.94	2.02	2.18	2.18 <sup>#</sup>
ख. पेंशन	0.75	0.94	0.97	1.31	1.46	1.68	1.67	1.60
ग. ब्याज भुगतान	3.74	4.02	4.42	4.81	5.29	5.76	5.88	5.83
घ. मुख्य सब्सिडियां*	2.45	2.49	2.42	2.04	1.91	2.64	2.66	1.97


स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

ब.अ.: बजट अनुमान, स.अ.: संशोधित (अंतरिम बजट के अनुसार), अ.वा.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

\*मुख्य सब्सिडियों में यहां खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियां शामिल हैं।

# 2018-19 संशोधित अनुमान संच्चा (अंतरिम बजट)

**चित्र 8: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय की प्रमुख मदें**



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े, एसएएल: वेतन, पीईएन: पेंशन

\*मुख्य सब्सिडियों में यहां खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियां शामिल हैं।

2018-19 स.अ. के लिए एसएएल 2018-19 स.अ. संच्चा है

**तालिका 5: राजस्व व्यय के मुख्य घटकों में वृद्धि**

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ब.अ #	2018-19 स.अ #	2018-19 अ.वा #
	(प्रतिशत में)							
राजस्व व्यय, जिसमें से	10.3	6.9	4.8	9.9	11.1	14.0	13.9	6.9
क. वेतन (वेतन और भत्ते)	8.9	13.6	7.9	22.6	9.2	4.4	12.7	12.7
ख. पेंशन	7.8	25.0	3.4	35.8	10.9	15.6	14.3	9.9


ग. ब्याज भुगतान	19.5	7.5	9.7	8.8	10.0	8.9	11.1	10.2
घ. मुख्य सब्सिडियां*	-1.1	1.8	-2.9	-15.6	-6.3	38.3	39.2	3.1

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

ब.अ.: बजट अनुमान, सं.अ.: संशोधित अनुमान (अंतरिम बजट के अनुसार), अ.वा.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

\*मुख्य सब्सिडियों में यहां खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियां शामिल हैं।

चित्र 9: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मुख्य सब्सिडियां




स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े

\*मुख्य सब्सिडियों में यहां खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियां शामिल हैं।

चित्र 10: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2013-14 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में राजस्व व्यय के मुख्य घटकों में परिवर्तन



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े # 2018-19 आर्ड संख्या (अंतरिम बजट के अनुसार)

2.22 2013-14 से 2018-19 अ.वा. के दौरान केंद्रीय सरकार का कुल बजटीय व्यय जीडीपी का 1.7 प्रतिशतांक गिरा है (तालिका 1 देखें) राजस्व व्यय में 1.6 प्रतिशतांक और पूँजी व्यय में 0.1 प्रतिशतांक की गिरावट आई। चित्र 10 दर्शाता है कि राजस्व व्यय को नियंत्रित करके सृजित की गई दो तिहाई से भी अधिक राजकोषीय गुंजाइश खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियों में कटौती करने के कारण संभव हुई है। यह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने, कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने और सब्सिडियों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बेहतर लक्ष्य बनाने का परिणाम है।


वर्तमान व्यय प्रवृत्ति पूँजीगत व्यय सहित व्यय गुणवत्ता में सुधार दर्शाती है क्योंकि 2017-18 (तालिका 1 का संदर्भ लें) की तुलना में, 2018-19 में जीडीपी के एक भाग में लगभग 0.1 प्रतिशत बिंदु तक की वृद्धि हुई है। वर्ष, 2016-17 से वित्त अवसंरचना निवेश हेतु बजटीय व्यय से अलग, अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) भी जुटाए गए हैं। सरकार ने 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों के दौरान 88,452 करोड़ रुपए का ईबीआर जुटाया है।

## राज्यों को अंतरण

2.23 राज्यों को निधियों के अंतरण में अनिवार्य रूप से तीन घटक होते हैं: राज्यों को हस्तांतरित की गई केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, वित्त आयोग अनुदान तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) तथा अन्य अंतरण। वर्ष, 2013-14 तक सीएसएस के लिए निधियां दो चैनलों अर्थात् राज्यों की समेकित निधियों तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण के माध्यम से दी गई थी। 2014-15 में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण को बंद कर दिया गया और सीएसएस के लिए निधियां सहित राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की समेकित निधियों के माध्यम से दिये गए थे। राज्यों को करों के विभाज्य कोष को पहले के 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य चौदहवें वित्त आयोग ने किया है।

2.24 निरपेक्ष स्वरूप और जीडीपी के प्रतिशत के रूप, में दोनों में, राज्यों को कुल अंतरण 2014-15 और 2018-19 सं. अ. (तालिका 6 और चित्र 11 का संदर्भ लें) के बीच बढ़ा है। राज्यों को कुल अंतरण में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत पॉइंट की वृद्धि हुई है।

चित्र 11: राज्यों को अंतरण (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)



स्रोत: व्यय विभाग

आरई: संशोधित अनुमान (अंतरिम संघ बजट के अनुसार)

तालिका 6: राज्यों को हस्तांतरण (करोड़ रुपए में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 बीई	2018-19 आरई
क. करों में राज्यों की हिस्सेदारी						
का राज्यों को केन्द्र द्वारा दिया गया अधिकार	3,37,808	5,06,193	6,08,000	6,73,005	7,88,093	7,61,454
ख. वित्त आयोग अनुदान	61,813	84,579	95,550	92,244	1,09,373	1,06,129
ग. सीएसएस तथा अन्य अंतरण	2,79,198	2,38,572	2,77,011	3,16,047	3,65,475	3,70,691
राज्यों को कुल अंतरण (क+ख+ग)	<b>6,78,819</b>	<b>8,29,344</b>	<b>9,80,561</b>	<b>10,81,296</b>	<b>12,62,941</b>	<b>12,38,274</b>

स्रोत: व्यव विभाग

ब.अ. बजट अनुमान, सं. अ: संशोधित अनुमान (अंतरिम संघ बजट 2019-20 के अनुसार)

### केन्द्रीय सरकार के ऋण

2.25 केन्द्रीय सरकार की कुल देनदारियों में भारत की समेकित निधि के संबंध में संविदात्मक ऋण, लोक ऋण के साथ-साथ लोक लेखा में देनदारियों के रूप में तकनीकी रूप से निर्धारित ऋण शामिल है। इन देनदारियों में वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण (वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर), परन्तु एनएसएसएफ से

राज्यों के वर्तमान ऋणों के संबंध में एनएसएसएफ की देनदारियों के हिस्से को छोड़कर, और एनएसएसएफ के अलावा सार्वजनिक एजेंसियों में किया गया निवेश शामिल है, जो केन्द्रीय सरकार के घाटे को वित्त पोषित नहीं करता है। दिसम्बर, 2018 के अंत में केन्द्रीय सरकार की कुल देनदारियां 83.4 लाख करोड़ रुपए हैं और जिसका 90 प्रतिशत लोक ऋण है (तालिका 7 का संदर्भ लें।)

तालिका 7: केन्द्रीय सरकार के ऋण की स्थिति (लाख करोड़ रुपए में)


मदें	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (प्र.)
क. लोक ऋण (क1+क2)	40.97	46.15	51.05	57.11	61.50	68.84	75.79
क1. आंतरिक ऋण (क+ख)	37.65	42.41	47.38	53.05	57.42	64.01	70.66
क. बाजारयोग्य प्रतिभूतियां	33.61	38.54	43.09	47.28	50.49	55.10	59.68
ख. गैर बाजारयोग्य प्रतिभूतियां	4.04	3.87	4.29	5.77	6.93	8.91	10.98
क2. विदेशी ऋण*	3.32	3.74	3.66	4.07	4.08	4.83	5.13
ख. लोक लेखा-अन्य देनदारियां	6.10	7.23	7.62	8.16	8.57	9.15	8.89
ग. कुल देनदारियां (क+ख)	47.07	53.39	58.66	65.27	70.07	77.99	84.68

स्रोत: सरकारी ऋण के संबंध में स्टेट्स पेपर के विभिन्न अंक और दिसम्बर, 2018 के लिए लोक ऋण के बारे में तिमाही रिपोर्ट; प: अनंतिम \*सहायता, लेखा तथा लेखापरीक्षक प्रभाग, वित्त मंत्रालय से वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए डाटा में आईएमएफ द्वारा निकल संचित एसडीआर आवंटन सम्मिलित हैं।

2.26 चित्र 12 दर्शाता है कि जीडीपी के एक अनुपात के रूप में केन्द्रीय सरकार की कुल देनदारियां, विशेषरूप से एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के लागू

होने के बाद से लगातार घट रही हैं। यह राजकोषीय समेकन प्रयासों के साथ-साथ तुलनात्मक रूप से उच्च जीडीपी वृद्धि, दोनों का एक परिणाम है (चित्र 13)


चित्र 12: केन्द्र के ऋण-जीडीपी अनुपात में पद्धति (प्रतिशत में)



स्रोत: लोक ऋणों के बारे में स्टेट्स पेपर के विभिन्न अंक।

पी: अनंतिम

चित्र 13: जीडीपी में वृद्धि और बकाया देनदारियों में वृद्धि



स्रोत: लोक ऋणों के बारे में स्टेट्स पेपर के विभिन्न अंक।

पी: अनंतिम

2.27 केन्द्रीय सरकार के ऋण निम्न मुद्रा स्थिति और ब्याज दर जोखिमों पर आधारित होते हैं। यह ऋण संविधान में विदेशी ऋण की कम हिस्सेदारी और आधिकारिक स्रोतों से लिए जा रहे लगभग संपूर्ण विदेशी ऋण के कारण है। इसके अलावा, अधिकतम लोकी ऋण, ब्याज की दर की अस्थिरता से रोधित स्थिर ब्याज दर वाले भारत के ऋण स्टॉक पर लिए गए हैं।


यह ब्याज भुगतानों के संदर्भ में बजट को निश्चितता तथा स्थिरता प्रदान करता है।

2.28 अन्य प्रमुख विशेषता आवर्ती जोखिमों को कम करने में केन्द्रीय सरकार के ऋणों (चित्र 14 का संदर्भ लें) की परिपक्वता अवधि विन्यास का क्रमशः दीर्घीकरण करना है। पांच वर्ष से कम की अवधि में

परिपक्व होने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में हाल के वर्षों में लगातार कमी देखी गई है। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की

औसत परिपक्वता अवधि मार्च, 2010 की समाप्ति पर 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्च, 2018 की समाप्ति में 10.4 वर्ष हो गई है।

**चित्र 14: केन्द्रीय सरकार की बकाया (पुरानी दिनांकित) का परिपक्वता अवधि विन्यास (कुल प्रतिशत के रूप में)**



स्रोत: सरकारी ऋण, 2017-18 के संबंध में स्टेटस पेपर और अप्रैल-मार्च 2018-19 के लिए सरकारी ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट।

पी: अनंतिम

## राज्यों के वित्त साधन

2.29 राजस्व व्यय (तालिका 8 और चित्र 15 का संदर्भ लें) में 2016-17 की तुलना में 2017-18 सं.अ॰ में राज्य बजट में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों तथा अग्रिमों से बना होता है। बिजली परियोजनाओं, खाद्य भंडारणगृहों तथा भाण्डागारों के लिए राज्यों द्वारा ऋण

तथा अग्रिम देने में कमी होने के कारण 2017-18 सं.अ॰ में राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम देने में बड़ी तेजी से कमी आई है। राजस्व के मामले में, 2017-18 सं.अ॰ में राज्यों के निजी करों तथा गैर कर राजस्व में जबरदस्त वृद्धि दिखाई दी है, जो कि 2018-19 ब.अ॰ (तालिका 8 तथा चित्र 15ख) में बरकरार रखी जानी परिकल्पित है।


**तालिका 8: राज्यों का राजकोषीय सूचकांक (संयुक्त)**

मर्दे	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 स.अ.	2018-19 ब.अ.
	(लाख करोड़ रुपए में)							
निजी कर राजस्व	5.6	6.5	7.1	7.8	8.5	9.1	10.5	12.0
		(17.4)	(8.8)	(9.4)	(8.7)	(7.8)	(15.1)	(14.1)
निजी गैर कर राजस्व	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2
		(18.3)	(13.0)	(8.4)	(6.9)	(10.3)	(14.8)	(15.6)

राजस्व व्यय	10.7	12.3	13.8	16.4	18.4	20.9	25.2	27.8
	(14.6)	(12.0)	(18.7)	(12.3)	(13.5)	(20.7)	(10.5)	
पूँजीगत व्यय	2.1	2.2	2.4	3.0	4.2	5.1	5.1	5.8
	(6.2)	(9.6)	(23.3)	(40.5)	(20.4)	(-0.1)	(12.9)	
कुल व्यय	12.8	14.5	16.2	19.4	22.6	26.0	30.3	33.6
	(13.2)	(11.6)	(19.4)	(16.7)	(14.8)	(16.6)	(10.9)	

स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त साधन: ए स्टडी ऑफ बजट, स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान, नम्बर्स: कोष्ठक में वृद्धि दरें दी गई हैं।


चित्र 15क: राज्यों के व्यय  
(लाख करोड़ रुपए में)



स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त साधन: ए स्टडी ऑफ बजट, आरई: संशोधित अनुमान, बीई: बजट अनुमान।

2.30. 2017-18 सं.अ° में जीडीपी अनुपात में राजकोषीय घाटे में गिरावट को इंगित करने वाले राज्य वित्तीय साधनों के संबंध में आरबीआई अध्ययन, जब बजट अनुमान से तुलना की गई। यह गिरावट मुख्य रूप से कृषि संबंधी ऋणों को माफ करने तथा वेतन मान परिवर्धन के कारण राजस्व व्यय के अत्यधिक बढ़ जाने से हुआ। तथापि, 2016-17 के बाद से राजकोषीय


चित्र 15ख: राज्यों के निजी कर तथा गैर कर राजस्व (संयुक्त)



घाटे में लगभग 0.4 प्रतिशत पॉइंट्स तक समेकन है (चित्र 16क का संदर्भ लें)।


2.31 2018-19 ब०अ° में, राज्यों की जीडीपी के 2.6 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लिए बजट दिया गया है। समेकन मुख्य रूप से राजस्व खाते के बारे में जीडीपी के 0.2 प्रतिशत पॉइंट्स के बारे में अधिशेष को लगाने के कारण होता है (चित्र 16ख का संदर्भ लें)।

चित्र 16क: राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)




स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त साधन: ए स्टडी ऑफ बजट, आरई: संशोधित अनुमान, बीई: बजट अनुमान।

चित्र 16ख: राज्यों का राजस्व घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)



2.32 चित्र 17 दर्शाता है कि जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार राज्यों की बकाया देनदारियां 2014-15 के बाद से बढ़ गई हैं। 2015-16 और 2016-17 में ‘उदय बांड्स’ को जारी करने, कृषि संबंधी ऋणों की माफी और वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से ऋण-जीडीपी अनुपात उच्चतर हुआ है। आर्थिक

**चित्र 17: राज्य सरकारों की कुल बकाया देनदारियां (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)**



स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त साधन: ए स्टडी ऑफ बजट्स एवं संघ बजट दस्तावेज।

आरई: संशोधित अनुमान, बीई: बजट अनुमान।

### केन्द्रीय सरकार के वित्त साधन

2.33 केन्द्र सरकार (केन्द्र और राज्य) राजकोषीय समेकन तथा राजकोषीय अनुशासन के पथ पर है (तालिका 9 तथा चित्र 19 का संदर्भ लें)। केन्द्र और राज्यों की संयुक्त देनदारियां मार्च, 2016 की समाप्ति

**तालिका 9: केन्द्र और राज्यों की कुल बकाया देनदारियां (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)**


वर्ष	केन्द्र की देनदारियां	राज्यों की देनदारियां	केन्द्र तथा राज्यों की संयुक्त देनदारियां
2011-12	47.5	22.8	67.4
2012-13	47.3	22.2	66.7
2013-14	47.5	22.0	67.1
2014-15	47.1	21.7	66.6
2015-16	47.4	23.4	68.5
2016-17	45.6	23.8	67.0
2017-18	45.6	24.0 (स.अ.)	67.0

स्रोत: सरकारी ऋण के संबंध में स्टेट्स पेपर के विभिन्न अंक एवं आरबीआई राज्य वित्त साधन: ए स्टडी ऑफ बजट्स

स.अ.: संशोधित अनुमान


सर्वेक्षण 2016-17 ने राजकोषीय घाटे पर उदय बाँड़ों का जीडीपी पर 0.7 प्रतिशत पॉइंट तक प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया था। फिर भी, राज्यों के ऋण जीडीपी अनुपात में वृद्धि होने के बावजूद, राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज के भुगतान में गिरावट नहीं आई है (चित्र 18 का संदर्भ लें)।

**चित्र 18: ब्याज का भुगतान/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)**



पर रही स्थिति के अनुसार जीडीपी के 68.5 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2018 की समाप्ति पर जीडीपी का 67 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा आगे और 2017-18 सं.अ. में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से घटकर 2018-19 ब.अ. में जीडीपी के 5.8 प्रतिशत रहने की संभावना है (चित्र 19)।

**चित्र 19: केन्द्र तथा राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा  
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)**



स्रोत: आरबीआई

आरई: संशोधित अनुमान, बीई: बजट अनुमान।

## संभावना

2.34 राजकोषीय मोर्चे पर आगामी वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रथम, संवृद्धि दर के धीमा रहने की आशंका है, जिससे राजस्व संग्रहण पर असर पड़ेगा। दूसरा, वित्तीय वर्ष, 2018-19 जीएसटी संग्रहण में कमी के साथ समाप्त हुआ है। इस तरह से, जीएसटी के राजस्व में वृद्धि होना, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के लिए संसाधन स्थिति के सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। तीसरा, संसाधनों के अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) तथा आयुष्मान भारत के साथ-साथ नई सरकार की नई पहलों में लगा देने के

लिए, संशोधित/गतिशील पथ के अनुसार, राजकोषीय घाटे से समझौता किए बिना राशियां जुटानी होंगी। चौथा, अमेरिका के ईरान से तेल के आयात की मंजूरी दिए जाने से तेल कीमतों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके कारण पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी चालू खाता बकाया के लिए निहितार्थ के अतिरिक्त होगी। अंततः पंद्रहवां वित्त आयोग अप्रैल, 2020 की शुरूआत में अगले पांच वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसकी सिफारिशें, विशेष रूप से करों के अंतरण पर, केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों पर असर डालेगी।

## अध्याय, एक नजर में

- वित्त वर्ष 2020-21 तक संशोधित राजकोषीय वहन पथ में GDP का 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करने और 2024-25 तक केन्द्र सरकार ऋण के GDP का 40 प्रतिशत तक प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2018-19 GDP के 3.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के साथ और ऋण व GDP अनुपात 44.5 प्रतिशत (अनंतिम) सहित समाप्त हुआ है।
- GDP के अनुसार केन्द्रीय सरकार व्यय राजस्व व्यय में 0.4 प्रतिशत अंक गिरावट सहित और पूँजीगत व्यय में 0.1 प्रतिशत अंक वृद्धि सहित 2017-18 की तुलना में 2018-19 अ.वा. में 0.3 प्रतिशत अंकों तक गिरा है।
- राज्य वित्त के संबंध में उनके अपने कर और गैर-कर राजस्व 2017-18 संशोधित अनुमान में भारी वृद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं जिसे 2018-19 बजट आंकलन में बनाए रखने की परिकल्पना की गई है।
- केन्द्र व राज्य सरकार (केन्द्र व राज्य) राजाकोषीय समेकन व राजकोषीय अनुशासन के पथ पर है।
- 2019-20 में राजकोषीय क्षेत्र पर अनेक चुनौतियों में शामिल हैं-वृद्धि में धीमेपन की संभावनाओं के कारण राजस्व पर प्रभाव, GST की राजस्व अनियमितता व PM किसान जैसी योजनाओं के लिए प्रावधान राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से समझौता किए बिना।

**अनुबंध I\*:** जीएसटी के कार्यान्वयन की स्थिति और सीमा-शुल्क में हाल की पहलें  
क. जीएसटी के कार्यान्वयन की स्थिति

- (i) जीएसटी को सुसाध्य बनाने के उपाय(प) सामान के आपूर्तिकारों के लिए जीएसटी के पंजीकरण तथा भुगतान छूट देने के लिए दिनांक 01.04.2019 से, कुल टर्नओवर की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड राज्यों में) तथा अन्य राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है।
- (ii) छोटे कारोबारियों- सामान के आपूर्तिकारों, रेस्टोरेंट सेवाओं के लिए संयोजन योजना तैयार की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत, 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले व्यक्ति (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड राज्य में 75 लाख रुपए) को उसके टर्न ओवर पर 1% से 5% के समान कर का भुगतान करने और वित्तीय वर्ष 2019-20 से तिमाही में भुगतान सहित वार्षिक रूप से रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी।
- (iii) सेवाओं के आपूर्तिकारों के लिए संयोजन योजना तैयार की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत, 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यक्तियों को अपने टर्नओवर पर 6% के समान कर का भुगतान करने की आवश्यकता है और वित्तीय वर्ष, 2019-20 से तिमाही भुगतान के साथ वार्षिक रूप से अपना रिटर्न दाखिल करने की जरूरत है।
- (iv) जीएसटी परिषद ने एक बार फिर से पहले की कर प्रणाली से करदाताओं के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया की अनुमति प्रदान की है। जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2018 माह के लिए ऐसे नए स्थानांतरित करदाताओं हेतु फार्म-जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 (1.5 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले व्यक्ति) में रिटर्न प्रस्तुत करने की निश्चित तिथि को 31.03.2019 तक बढ़ाया गया था। उसी तरह, जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2018 तक की तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 (1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए अवधि 31.03.2019 तक बढ़ा दी गई है।
- (v) रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली के अनुसार, मासिक रूप से दाखिल किए जाने के लिए केवल एक रिटर्न फॉर्म होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की बारम्बारता तिमाही सहज (केवल बी2सी), सुगम (बी2बी और बी2सी और सामान्य तिमाही) होगी। नई प्रणाली में, आपूर्तिकार को माह के दौरान कभी भी लगातार इनवॉइसेज अपलोड करने की अनुमति होगी और प्राप्तकर्ता भी अपलोड की गई इनवॉइसेज को निरंतर देखने में सक्षम होगा। आपूर्तिकार द्वारा कर के भुगतान में चूक करने के कारण आईटीसी के दुरुपयोग को मुख्य रूप से आपूर्तिकार से कर की वसूली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। तथापि, कुछ परिस्थितियों में क्रेता से उधार का परिवर्तन भी राजस्व प्राधिकारियों के पास एक विकल्प उपलब्ध होगा। नई रिटर्न प्रणाली दिनांक 01.04.2019 से परीक्षण आधार कार्यान्वित की जाएगी और दिनांक 01.07.2019 से अनिवार्य हो जाएगी।
- (vi) सरकार यह सुनिश्चित करने में बहुत सक्रिय हो गई है कि जीएसटी का बिना किसी समस्या के कार्यान्वयन किया जा रहा है। व्यापार और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप जीएसटी विधि/ नियम/प्रक्रियाविधि अंगीकार की गई है। इस आशय के लिए जीएसटी आरंभ होने की तारीख से केन्द्र ने 495 अधिसूचनाएं, 101 परिपत्र, 18 आदेश, कठिनाइयों को हटाने के 12 आदेश और 125 से भी अधिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की हैं (28.02.2019 की स्थिति के अनुसार)।
- (vii) किसी सरकारी प्राधिकरण/पीएसयू द्वारा किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण/पीएसयू को की गई आपूर्ति के मामले में टीडीएस से छूट प्रदान की गई है।

\* इस अनुबंध में दिए गए कर उपाय तथा दर के बदलाव केवल सामान्य पाठकों के लिए हैं और करदाताओं हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में नहीं होंगे।

## निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी के अंतर्गत किए गए उपाय

- (i) निर्यातकों को अपने लैटर हैड पर एक साधारण वचन-पत्र प्रस्तुत करके कर के भुगतान के बिना निर्यात करने का एक विकल्प मुहैया करवा के राहत प्रदान की गई है। यह निर्यात पर कोई कर प्राप्त नहीं करने के सिद्धांत के अनुपालन में है।
- (ii) वापसी की प्रक्रिया में एक मानवीय हस्तक्षेप सुविधा प्रदान इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी दूर की गई थी। स्पष्टता लाने और प्रक्रिया निश्चित बनाने के लिए अपेक्षित परिपत्र जारी किए गए थे। करदाताओं को वापसी दिलाने के लिए एक ठोस अभियान चलाया गया था।
- (iii) केन्द्र और राज्यों द्वारा निपटाए गए आरएफडी-01ए दावों की कुल राशि 65,567 करोड़ रुपए (लगभग) है। इसके अलावा, 68,014 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि के आईजीएसटी वापसी दावे भी निपटाए गए हैं। इस प्रकार 31.03.2019 तक कुल 133581 करोड़ रुपए के वापसी के दावे निपटाए गए हैं।
- (iv) मर्चेंट निर्यातक को निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकार से सामान खरीदने के लिए 0.1% की नाममात्र की जीएसटी का भुगतान किया जाना होता है। यह निर्यात क्षेत्र में वृद्धि और उसके पूर्जीगत मुद्दों के समाधान के लिए एक बड़ा बल प्रदान करने के क्रम में किया गया था। नकद को रोकने का स्थायी समाधान “ई-वॉलेट” योजना है, जो 01.04.2020 से आरंभ की जानी प्रस्तावित है।

### जीएसटी दर का यौक्तिकीकरण

#### वस्तुएं

- (i) जीएसटी के अंतर्गत कर के आधार के विस्तार और राजस्व के संतुलन से, जीएसटी दर संरचना को युक्तियुक्त कर दिया गया है। आज, केवल लगभग 32 वस्तुएं 28% के स्लैब में शेष रह गई हैं। इस श्रेणी में शेष रही वस्तुएं या तो विलासिता की वस्तुएं हैं या समाज/व्यक्ति के लिए हानिकारक वस्तुएं हैं।
  - (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान घटाई गई प्रमुख दरें निम्नानुसार हैं:-
- क. **28% से 18%/12%/5%:** जीएसटी की दरें उपभोक्ता की लागत कम करने के लिए घटाई गई हैं, इसके फलस्वरूप, उपभोक्ताओं की खरीदारी की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है, यह अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई खपत के अतिरिक्त है। कुछ वस्तुओं, जिनमें दरों को 28% से कम किया गया है, वे उपभोक्ता वस्तुएं हैं जैसे 68 से.मी. तक के आकार के टेलिविजन, रेफ्रिजिरेटर, फ्रीजर्स, वाटर कूलर, मिल्क सहित अन्य रेफ्रिजिरेटिंग उपकरण, वाशिंग मशीन, वेक्यूम क्लीनर, घरेलू बिजली के उत्पाद, जैसे फूड ग्राइंडर तथा मिक्सर आदि स्टोरेज वाटर हीटर, इमर्सन हीटर, हेयर ड्रायर, डिजीटल कैमरा तथा विडियो रिकार्डर आदि। कुछ अन्य औद्योगिक रूप से इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को भी 28% की सूची से हटा दिया गया है जैसे पुल्ली, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स और क्रेन्क्स, गियर बॉक्सेज आदि लिथियम आईओएन बैटरियां, चमड़ा उद्योग के लिए रेफ्रिजिरेटिंग उपकरण, आईसक्रम फ्रीजर, विशेष प्रयोजनीय मोटर वाहन, फैक्ट्रियों, वेयरहाउसों, गोदी क्षेत्रों या विमानपत्तनों में प्रयोग होने वाले कार्यकारी ट्रक्स, (स्व-प्रोपेल्ड, लिफ्टिंग अथवा हैंडलिंग उपकरण से जुड़े बिना), प्लूल सैल वाहन, रबर के टी-ट्रेडेड अथवा पुराने न्यूनेटिक यायर आदि।

- ख. **18% से 12%/5% शून्य:** कॉर्क (अशिष्ट वर्गीकृत अथवा फैली हुई), प्राकृति कॉर्क के सामानों, कॉर्क के ढेर, पत्थर के मलबे पर वर्गीकरण विवाद होने से बचने के लिए जीएसटी दरों का यौक्तिकीकरण किया गया था। उसी तरह, लोगों के लाभ के लिए पत्थर/मार्बल/लकड़ी की देवी-देवताओं की मूर्तियों, बांस के फशों, पीतल के मिट्टी के तेल के स्टोवों, हाथ से चलने वाले रबड़ रोलर, जिप और स्लाइड फास्टनरों आदि की जीएसटी दरों को घटा दिया गया है।

ग. 12% से 5%: 1000 रुपए खुदरा बिक्री मूल्य से कम मूल्य की वस्तुओं प्राकृतिक कॉर्क, छड़ी, फ्लाई एश स्लीक, हथकरघा दरी, उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड, बुनी हुई कैप/टोपी पर जीएसटी दरें घटा दी गई हैं।

घ. जीएसटी के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण युक्तियुक्त उपाय:

- विपरीत कर संरचना से उभरे कपड़ों के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट के बंद होने के बारे में कपड़ा उद्योग क्षेत्र द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए, जीएसटी परिषद ने 21 जुलाई, 2018 को हुई अपनी 28वीं बैठक में विपरीत कर के बारे में कपड़ों के लिए वापसी (रिफंड) की अनुमति देने की सिफारिश की। जमा हुए आईटीसी की वापसी की अधिसूचना जारी होने के बाद की गई खरीद पर भावी प्रभाव से ही अनुमति दी गई थी।
- विशिष्ट हथकरघा वस्तुओं पर जीएसटी कम की गई है।
- मूल्यांकन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क के स्थान पर, सीधे कृषि के उपयोग के लिए सरकारी लेखा पर आयातित यूरिया की पूल इश्यू कीमत (पीआईपी) पर आई जीएसटी की दर 5% की गई।

(iii) वस्तुएं जिन पर जीएसटी लागू करने से छूट दी गई है

- जीएसटी परिषद ने सामान्य लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुओं को छूट प्रदान करने की सिफारिश की है:- सेनिट्री नेपकिन, नारियल कम्पोस्ट, साल के पत्ते, सियाली पत्ते और उसके उत्पाद तथा सबाई रोप, फूल झाड़, खाली दोने, म्यूजिक किताबें, सब्जियां (भाप द्वारा बनाई गई अथवा कच्ची अथवा पानी में उबाली गई फ्रोजेन, ब्रांडेड और एक इकाई कंटेनर में डाली गई), पहले से ही सुरक्षित रखी गई सब्जियां (उदाहरण के तौर पर सल्फर डाइक्साईड गैस, ब्राइन में, सल्फर के पानी में अथवा अन्य परिरक्षित घोलों में रखकर) परन्तु यह तुरंत उपभोग आदि के लिए उपयुक्त नहीं होती है।
- कुछ वस्तुओं के संबंध में जीएसटी दर को लागू करने से संबंधित स्पष्टीकरण किए गए हैं जैसे नोजल्स से युक्त स्प्रींकलर प्रणाली, लेटरल तथा अन्य उपकरण, रिग्स का चलन, टूल और स्पेयर तथा पहियों पर चलने वाले के सभी सामान, आगे आपूर्ति के लिए बॉटलिंग हेतु रिफाइनर्स/फ्रेक्शनर्स द्वारा एक ओएमसी के लिए बड़े परिमाण में एलपीजी की आपूर्ति आदि।

### सेवाएं

- (i) जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के पश्चात् व्यापार और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए दरों को अत्यधिक तर्कसंगत बना दिया गया है। वित्तीय वर्ष, 2018-19 के दौरान दरों में की गई प्रमुख कटौती निम्नानुसार हैं:-
- रेस्टोरेंट (7500/- रुपए प्रति दिन और उससे अधिक के टैरिफ वाले होटलों में स्थित रेस्टोरेंट को छोड़कर) द्वारा दी जा रही सेवाओं पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  - 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कम लागत के घरों के निर्माण पर लागू जीएसटी दर को 8% से घटाकर 1% कर दिया गया है और अन्य घरों अर्थात् जो इस श्रेणी में नहीं है, उनकी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कम लागत घरों की परिभाषा में वे घर हैं जो मेट्रो क्षेत्रों में 60 वर्गमीटर के कार्पेट क्षेत्र वाले हैं और गैर मेट्रो क्षेत्र में 90 वर्ग मीटर के हैं और उनकी कीमत 45 लाख रुपए तक की है।
  - 100 रुपए तक के प्रवेश टिकट वाले सिनेमाघरों पर लागू जीएसटी दर को घटाकर 18% पर निर्धारित किया गया है।

- थीम पार्क, जल क्रड़ा पार्क, जॉय राइड्स, मैरी गो राउंड्स, गो कार्टिंग और बैलेट सहित मनोरंजन पार्क (एम्यूजमेंट पार्क) द्वारा प्रदान की जा रहीं सेवाओं पर जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

### ( ii ) सेवाओं पर जीएसटी लगाने से छूट

सामान्य लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली दो प्रमुख सेवाओं अर्थात् चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रहीं शैक्षणिक सेवाओं को जीएसटी से छूट प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, सामान्य लोगों द्वारा उपयोग की जा रहीं निम्नलिखित सेवाओं को जीएसटी से पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है:-

- ऑनलाइन शैक्षणिक जर्नल की आपूर्ति से अवस्थित किसी सेवा प्रदाता से प्राप्त होने वाली सेवा अथवा किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान के लिए नियतकालिक पत्रिका (अर्थात् प्री-स्कूल शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा उसके समकक्ष तक शिक्षा प्रदान करने किसी संस्थान के अलावा)।
- प्रवेश शुल्क लेकर प्रवेश परीक्षा आयोजित करके किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
- प्रवेश लेने से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान को सेवाएं प्रदान करना अथवा सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा परीक्षा का आयोजन करना।
- कमीशन अथवा लाभ के रूप में विचार नहीं करते हुए लोक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न, मिट्टी के तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र को उचित दर दुकान द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
- विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कार्मिकों के परिवहन, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे संस्थान के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कार्मिकों के लिए परिवहन की सेवाएं प्रदान करना जो संस्थान प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक अथवा उसके समकक्ष की शैक्षणिक सेवा प्रदान करता हो (उप-ठेकेदार को भी जीएसटी से छूट दी गई है)।
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 अथवा उस समय लागू किया जा रहे किसी भी राज्य अधिनियम के तहत घोषित किए गए किसी संरक्षित स्मारक में प्रवेश करने की सेवाएं।
- सर्कस, नृत्य, अथवा नाटक सहित थियेटर संबंधी कला-प्रस्तुति, अथवा बैलेट; पुरस्कार समारोह, कंसर्ट, पेजीएंट, संगीत प्रस्तुति, अथवा मान्यता प्राप्त खेल संबंधी समारोह, मान्यता प्राप्त खेल-संबंधी कार्यक्रम, जहां किसी कार्यक्रम या स्थान में प्रवेश के अधिकार के लिए 500 रुपए से अधिक नहीं लिये जाते हैं।
- पीएफआरडीए द्वारा निर्यत्रित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक भत्ते द्वारा प्रदान की गई जीवन बीमा व्यापार सेवा प्रदान की जाती है।
- ज्ञ 7500 प्रति माह की राशि का अंशदान करने पर इसके सदस्यों को एक आवासी कल्याण एसोसिएशन (आर डब्ल्यू ए) द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।

### ( iii ) सेवाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को जीएसटी कराधान से कई राहतें दी गई हैं:

- कृषि, फार्मिंग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।

- (ii) शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास।
- (iii) पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था में सहायता।
- (iv) बैंकिंग/वित्त/बीमा सेवा।
- (v) सरकारी सेवाएं।
- (vi) पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं।
- (vii) निर्माण तथा निर्माण कार्य संविदा सेवाएं।
- (viii) यातायात सेवाएं।

#### **ख. सीमा-शुल्क**

- > भारत में आयातित सामान पर विपरीत कर संरचना से बचाने के लिए सरकार की ओर से ठोस प्रयास किए गए हैं। मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दरों को औद्योगिक रसायनों, अयस्क तथा गाढ़ा घोल, औद्योगिक उपभोग के लिए ईंधन निर्माण हेतु उद्योगों में प्रयोग होने वाले कपड़ों के रेशे तथा धागे आदि जैसे अधिकतर आगम एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों पर 2.5%/5%/7.5% तक युक्तियुक्त बना दिया गया है।
- > सरकार ने “‘मेक इन इंडिया’” पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक सोची-समझी नीति का पालन किया है। इसलिए भारत में आगे प्रसंस्करण के लिए आयातित सामान पर कई अंतिम उपयोग आधारित छूट तथा निम्न सीमा-शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं जबकि तैयार उत्पादों पर उच्च दरें लागू हैं। तैयार माल जैसे जूतों, संसाधित भोजन, सेल्युलर मोबाइल फोनों, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स तथा अन्य टॉइलेट प्रीपीरेशन, घड़ियों, फर्नीचर, खिलौनों, लाईट फिटिंग आदि पर संघ बजट 2018-19 में सीमा शुल्क दरों को बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर, 2018 में, प्लास्टिक के सामानों, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्पीकर, संचार उपकरण और कुछ अन्य उत्पाद जो कि बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं उन पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है।
- > पिछले दो वर्षों में कई बार चीन से आयात होने वाले अधिकतर इलैक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमा-शुल्क बढ़ा दिया गया है। सेल्युलर मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, माइक्रोवेव ओवेन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि जैसे तैयार इलैक्ट्रोनिक्स सामान पर घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सीमा-शुल्क में वृद्धि की गई है।
- > इसके अलावा, आयात से घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए मानव निर्मित कपड़े के रेशे के 298 टैरिफ लाइन्स पर सीमा-शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा, वस्त्रों सहित 504 कपड़ों के उत्पाद के टैरिफ लाइन्स पर बीसीडी को बढ़ाया गया था।

**अनुबंध II\*:** बजट 2018-19 तथा 2019-20 (अंतरिम बजट) में प्रत्यक्ष करों में हालिया पहल  
क. संघ बजट 2018-19 में घोषित महत्वपूर्ण उपायों का सारः

- > वित्तीय वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपए के टर्न ओवर वाली कंपनियों के लिए आयकर की दर को घटाकर 25% किया गया था।
- > 40,000/- रुपए तक की मानक छूट (स्टैंडर्ड डिडक्शन) या प्राप्त होने वाले वेतन की धनराशि, जो भी कम हो, की अनुमति दी गई और परिवहन भत्ते तथा विविध चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में युक्तियुक्त छूट दी गई है।
- > वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं:-
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और/अथवा चिकित्सा व्यय के लिए कटौती की सीमा को 30,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए कर दिया है।
- कुछ गंभीर बीमारियों के संबंध में चिकित्सा व्यय के लिए कटौती की सीमा को सभी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के) के मामले में 1,00,000/- रुपए तक बढ़ा दी गई है।
- बैंकों, सहकारी सोसाइटियों और डाक घरों में जमाराशि से ब्याज से होने वाली आय पर वरिष्ठ नागरिकों को 50,000/- रुपए की कटौती प्रदान की गई है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से आय पर स्रोत पर आयकर कटौती की सीमा को 10,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए कर दिया गया है।
- यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, व्यष्टि न होने के नाते, जो एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि का लेन-देन करता है और ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रबंधक निदेशक, निदेशक भागीदार, न्यासी, लेखक, गठनकर्ता, कर्जा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी अथवा कार्यालय वाहक अथवा कोई सक्षम व्यक्ति कार्य करता है तो उसे पैन कार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा।
- यह प्रावधान किया गया है कि किसी समायोजित कम्पनी के मामले में संचित लाभ, चाहें पूँजी में परिवर्तित हो अथवा नहीं हो, अथवा घाटे का कोई भी मामला हो, समायोजित कंपनी के संचित लाभ में जुड़ जाएगा, चाहे समामेलन की तारीख पर पूँजी में परिवर्तित हो या न हो।
- मान लिए गए लाभांश को भी लाभांश वितरण कर के कार्य क्षेत्र में लाने का प्रावधान किया गया है और ऋण तथा अग्रिमों जैसे विभिन्न तरीकों से छद्मावरण वाले लाभांश को बचाने के क्रम में ऐसे लाभांश पर कर की दर 30% (बिना आय अर्जन के) होगी।
- अधिनियम की धारा 10(38) के अंतर्गत छूट को वापस ले लिया गया है और यह प्रावधान करने के लिए एक नई धारा 112क जोड़ दी गई है कि किसी कंपनी अथवा किसी इक्विटी उन्मुखी निधि की एक इकाई अथवा किसी व्यापार न्यास की एक इकाई में एक इक्विटी शेयर होने के नाते एक दीर्घकालिक पूँजीगत संपत्ति के अंतरण से होने वाली दीर्घकालिक पूँजीगत आय के एक लाख रुपए से अधिक होने पर 10% कर लागू होगा। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) को भी एक लाख से अधिक की ऐसी आय की राशि के संबंध में ही ऐसी/ऐसे दीर्घकालिक पूँजीगत आय पर कर देना होगा। इसके अलावा, यह प्रावधान भी किया गया है कि जहां किसी इक्विटी उन्मुखी म्युचल फंड द्वारा कोई आय वितरित की जाती है तो म्युचल फंड ऐसी वितरित की गई आय पर 10% की दर पर अतिरिक्त आयकर अदा करेगा।

\* इस अनुबंध में दिए गए कर उपाय तथा दर के बदलाव केवल सामान्य पाठकों के लिए हैं और करदाताओं हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में नहीं होंगे।

- डिजीटल कारोबार में उभर रहीं प्रत्यक्ष कर चुनौतियों का सामना करने के लिए यह प्रावधान करने हेतु कारोबार संबंध परिभाषा के कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था कि भारत में एक अप्रवासी कर योग्य है यदि उसकी भारत में कोई 'सार्थक आर्थिक मौजूदगी' है।
- उक्त अधिनियम की धारा 80 जेजेए के अंतर्गत 30% की कटौती का लाभ प्राप्त करने की शर्तों को नए कर्मचारियों, जिन्होंने पहले वर्ष के दौरान न्यूनतम अवधि से कम में रोजगार किया है परन्तु बाद के वर्षों में न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार में बने रहेंगे, को अनुमति देते हुए शिथिल बनाया गया है। जूता तथा चमड़ा उद्योग को 150 दिन की रोजगार की न्यूनतम अवधि का लाभ प्रदान किया गया है।
- धारा 80 आईएसी के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स के लिए कर व्यवस्था में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-
- 1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके बाद, परन्तु 1 अप्रैल, 2021 से पहले निगमित स्टार्ट-अप्स को भी लाभ उपलब्ध होंगे;
- 25 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर की आवश्यकता आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष पर लागू होगी, जिसके लिए इस धारा के अंतर्गत दावा किया गया है;
- यह प्रावधान करने के लिए पात्र कारोबार की परिभाषा में विस्तार किया गया है कि लाभ उपलब्ध होगा यदि स्टार्ट-अप्स पदार्थों अथवा प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नवाचार, विकास अथवा सुधार कार्य में, या रोजगार सृजन अथवा धन के अर्जन की उच्च क्षमता के साथ एक मापक्रम योग्य कारोबार में लगा है।

आवेदक केवल माता का नाम प्रस्तुत करके पैन के लिए आवेदन कर सके। इससे पहले, सभी आवेदकों के लिए पिता का नाम प्रस्तुत करना अनिवार्य था।

- कर की कटौती नहीं करने अथवा कम दर पर कर की कटौती/एकत्रीकरण हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्राक्रिया को युक्तियुक्त बना दिया गया है। अब, विनियोजन प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए एक आवेदन दाखिल करने की समग्र प्रक्रिया को इलैक्ट्रोनिक बना दिया गया है। इससे मानवीय अंतरापृष्ठ न्यूनतम हो जाएगा और आवेदन पर अनुपालन बोझ भी कम होगा।
  - उक्त अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत एक धर्मार्थ ट्रस्ट अथवा संस्थान के पंजीकरण के लिए दाखिल किए जाने वाले आवेदन के फार्म को युक्तियुक्त बना दिया गया है और इसे इलैक्ट्रोनिक रूप से दाखिल करने में भी सक्षम बना दिया गया है।
  - अपील ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने के फार्म को और अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए युक्तियुक्त बना दिया गया है।
  - विदेशी बैंक की भारतीय शाखा का रूपांतरण सुकर बनाने के क्रम में, रूपांतरण द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों का उल्लेख करते हुए और जैसे रूपांतरण हेतु उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू करने में संशोधनों, अपवादों का भी उल्लेख करते हुए दिनांक 06.12.2018 को अधिसूचना का०आ० 6053(अ०) जारी कर दी गई है।
  - फॉर्म सं० 16 के भाग ख और फॉर्म सं० 24 क्यू के अनुबंध-प में फॉर्म-16 में वेतन टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम बनाने तथा फॉर्म सं० 24 क्यू में प्रस्तुत सूचना के आधार पर आयकर रिटर्न को पूर्व में जमा करने में सक्षम बनाने के लिए संशोधन कर दिया गया है।
- ख. अंतरिम बजट 2019-20 में घोषित महत्वपूर्ण उपायों का सार:-**
- एक व्यक्तिगत करदाता के लिए कर छूट की राशि को 2,500/- रुपए से बढ़ाकर 12,500/- रुपए किया गया।

- मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा को 40,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए किया गया है।
- वर्तमान में उपलब्ध एक स्व-कब्जे वाले मकान के स्थान पर, दो स्व-कब्जे वाले मकानों पर अनुमानित किराये पर कोई कर नहीं लगेगा। फिर भी, 2 लाख रुपए के ब्याज की कटौती के लिए मौजूदा सीमा कायम रहेगी।
- उक्त अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत दो आवासीय मकानों की खरीद अथवा निर्माण में समग्र पूंजीगत लाभ के निवेश का एक बार विकल्प का प्रावधान किया गया है, जहां आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाला पूंजीगत लाभ 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
- जमा राशि पर बैंक से मिलने वाले ब्याज आदि पर टीडीएस लागू करने की निश्चित सीमा को 10,000/- रुपए से बढ़ाकर 40,000/- रुपए किया गया है; और
- किराये से होने वाली आय पर टीडीएस लागू करने की निश्चित सीमा को 1.8 लाख रुपए से बढ़कर 2.4 लाख रुपए कर दिया है।

ग. वर्ष, 2018 और 2019 के दौरान किए गए अन्य उपाय

- नोटिस को केन्द्रीयकृत रूप से जारी करने और सूचना तथा कागजात की प्रोसेसिंग हेतु तथा आकलन अधिकारी को प्रोसेसिंग का परिणाम उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीयकृत प्रमाण अन योजना, 2019 अधिसूचित किया गया है।
- पैन आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बना दिया गया है ताकि 'एकल अभिभावक' के रूप में केवल माता के साथ रहने वाला कोई आवेदक केवल माता का नाम प्रस्तुत करके पैन के लिए आवेदन कर सकता है। इससे पहले, सभी आवेदकों के लिए पिता का नाम प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
- कर की कटौती नहीं करने अथवा कम दर पर कर की कटौती/एकत्रीकरण के लिए प्रमाणपत्र जारी करने प्रक्रिया को याकित्युक्त बना दिया गया है। अब, उपयुक्त प्रमाणपत्र के सृजन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने की समग्र प्रक्रिया को इलैक्ट्रोनिक रूप से बना दिया गया है। इससे मानवीय इंटरफेस कम होगा तथा आवेदक पर अनुपालन का भार भी कम हो जाएगा।
- उक्त अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत किसी धर्मार्थ ट्रस्ट अथवा संस्थान के पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदन प्रपत्र को यकित्युक्त बना दिया गया है और उसे इलैक्ट्रोनिक रूप से दाखिल करने में भी सक्षम बना दिया गया है।
- अपील प्राधिकारी को अपील करने के लिए प्रपत्र को और अधिक सूचनाप्रद बनाने हेतु यकित्युक्त बना दिया गया है।
- विदेशी बैंक भारतीय शाखा के परिवर्तन को सुकर बनाने के क्रम में, परिवर्तन द्वारा पूरी किए जाने वाली शर्तों का उल्लेख करते हुए तथा ऐसे परिवर्तन में उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू करने में संशोधनों, अपवादों आदि का भी उल्लेख करते हुए, दिनांक 06.12.2018 को अधिसूचना का.आ. 6053 (अ.) जारी कर दी गई है।
- फार्म सं. 16 में वेतन टीडीएस प्रमाणपत्र को ई-जारी करने में सक्षम बनाने हेतु फार्म सं. 16 का भाग ख तथा फार्म सं. 24 क्यू के अनुबंध-प्प में संशोधन किया गया था और फार्म सं. 24 क्यू में प्रस्तुत सूचना के आधार पर आय कर रिटर्न को पूर्व में दाखिल करने में सक्षम बनाया गया था।